SC ने रैखकि परयिोजनाओं हेतु अनयिमति मृदा नषि्करषण में परविर्तन कयिा

प्रलिमि्स के लयि:

सर्वोच्च न्यायालय ने रेखीय परयिोजनाओं के लयि अनयिमति मृदा नषि्करषण को परविर्तति कर दयिा,सर्वोच्च न्यायालय, पर्यावरण स्वीकृत (EC), राष्ट्रीय हरति न्यायाधकिरण (NGT).

मेन्स के लयि:

सर्वोच्च न्यायालय ने रैखकि परयिोजनाओं हेतु अनयिमति मृदा नषि्करषण, EPA की वशिषताओं, पर्यावरण संरक्षण अधनियिम, 1986 में परविर्तन कयिा।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने **तीन वर्ष पहले जारी** पर्यावरण मंत्रालय की एक अधसिूचना को परविर्तति कर दयिा। इस अधसिूचना ने**सड़क और रेलवे नरि्माण** जैसी रैखकि परयिोजनाओं के लयि **साधारण मृदा नषि्करषण** को पर्यावरणीय स्वीकृत (EC) की आवश्यकता से छूट प्रदान की है।

- मार्च, 2020 में प्रारंभ हुई छूट को राष्ट्रीय हरति न्यायाधकिरण (NGT) में एक चुनौती का सामना करना पड़ा, जसिने अक्तूबर, 2020 में मंत्रालय को तीन माह के भीतर इसका पुनर्मूल्यांकन करने का नरि्देश दयिा।

रैखकि परयिोजनाएँ:

- रैखकि परयिोजनाएँ बुनयिादी ढाँचे के वकिास को संदर्भति करती हैं और एक रैखकि या नरिंतर पथ का अनुसरण करती हैं, जैसे**सड़कें, रेलवे, पाइपलाइन, नहरें, ट्रांसमशिन लाइनें व राजमार्ग**।
- ये परयिोजनाएँ आमतौर पर एक सीधी या घुमावदार रेखा में नरिंतर क्रयािन्वति होती हैं, जो वभिनि्न बदिुओं या स्थानों को जोड़ती हैं।

रैखकि परयिोजनाओं हेतु वर्ष 2020 की छूट क्या थी?

- **पृष्ठभूम:**
  - सतिंबर, 2006 में पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधनियिम, 1986 के तहत एक अधसिूचना जारी की, जसिमें पूर्व **पर्यावरण स्वीकृत (EC)** की आवश्यकता वाली गतविधियिों की रूपरेखा प्रदान की गई।
  - जनवरी, 2016 में **बाद की अधसिूचना ने कुछ परयिोजनाओं** को आवश्यकतानुसार छूट प्रदान की।
- **वर्ष 2020 की अधसिूचना में प्रदान की गई छूट:**
  - मार्च, 2020 में एक अधसिूचना जारी की गई **जसिमें पर्यावरणीय स्वीकृत की आवश्यकता से छूट वाली गतविधियिों की सूची को वसि्तृत कयिा गया।** इसमें रैखकि परयिोजनाओं में उपयोग के लयि साधारण मृदा नषि्करषण, जसिे सोर्सगि भी कहा जाता है, शामलि था।

वर्ष 2020 में प्रदान की गई छूट को चुनौती क्यों दी गई?

- **याचकिाकर्ता द्वारा दी गई चुनौती के आधार:**
  - छूट को NGT के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अंधाधुंध मृदा नषि्करषण की **अनुमत प्रदान करना मनमाना** और भारतीय संवधिान के **अनुच्छेद-14 का उल्लंघन** है।
    - याचकिाकर्ता ने तर्क दयिा कि छूट ने पट्टों में पूर्व EC की आवश्यकता का उल्लंघन कयिा है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय

ने **दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य मामले, 2012** में निर्णय दिया था।

- याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि **मंत्रालय ने वर्ष 2020 की अधिसूचना जारी करने से पूर्व** सार्वजनिक आपत्तियाँ मांगने की **कानूनी प्रक्रिया** को नज़रअंदाज़ कर दिया था।
- आलोचकों का तर्क है कि **कोविड-19** लॉकडाउन के दौरान **'लोकहित' की आड़ में** **पर्यावरण स्वीकृति (EC)** प्रक्रिया में प्रदान की गई छूट ने **निजी खनन कंपनियों और ठेकेदारों को फायदा पहुँचाने का एक विकल्प** मात्र के रूप में काम किया।

- **सरकार का तर्क:**
  - NGT के समक्ष केंद्र ने तर्क दिया कि छूट **"आम जनता की सहायता के लिये"** आवश्यक थी, जिससे गुजरात में कुम्हार किसानों, ग्राम पंचायतों, बंजारा और ओड समुदायों सहित विभिन्न समूहों को लाभ होगा।
    - इसने तर्क दिया कि **छूट देना एक नीतिगत मामला है जो न्यायिक हस्तक्षेप के अधीन नहीं है।**
  - 2020 की अधिसूचना का व्यापक उद्देश्य मार्च 2020 में अधिनियमित **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957** में संशोधन के साथ संरेखित करना था।
    - इन संशोधनों ने नए पट्टेदारों को अपने पूर्ववर्तियों द्वारा प्राप्त वैधानिक मंज़ूरी और **लाइसेंस के साथ दो साल तक खनन जारी रखने की अनुमति दी।**
- **NGT का फैसला:**
  - अक्तूबर 2020 में NGT ने कहा कि **मंत्रालय को संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का लक्ष्य रखना चाहिये**। पूर्ण छूट के बजाय इसमें **उत्खनन प्रक्रिया को विनियमित** करने और मात्रा निर्धारित करने जैसे उपयुक्त सुरक्षा उपाय शामिल किये जाने चाहिये।
    - ट्रिब्यूनल ने केंद्र को तीन महीने के भीतर अधिसूचना की समीक्षा करने का निर्देश दिया।
  - **केंद्र की प्रतिक्रिया:**
    - केंद्र ने NGT के आदेश पर कार्रवाई में तब तक देरी की जब तक अपीलकर्त्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की।
- **SC द्वारा व्यक्त की गई चिंताएँ:**
  - न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **2020 की व्यापक छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना में स्पष्टता का अभाव है** और यह **संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन** है।
    - अधिसूचना में **'रैखिक परियोजनाओं (Linear Projects)'** को परिभाषित नहीं किया गया या मृदा के निष्कर्षण की मात्रा और क्षेत्र को निर्दिष्ट नहीं किया गया।
    - इसके अतिरिक्त इसने यह सुनिश्चित नहीं किया कि इन परियोजनाओं के लिये केवल आवश्यक मात्रा में मृदा निष्कर्षण के लिये छूट दी गई, जिससे **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम** का उद्देश्य कमज़ोर हो गया।
  - न्यायालय ने अधिसूचना में NGT या **सर्वोच्च न्यायालय को मंत्रालय की प्रस्तुतियों में सार्वजनिक नोटिस की आवश्यकता के लिये क्षमा करने का कोई औचित्य नहीं पाया।**
  - इसने निर्णय को मनमाना और समझदारीपूर्ण विचार की कमी माना। न्यायालय ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अधिसूचना जारी करने में जल्दबाज़ी पर भी प्रश्न उठाया, जब रैखिक परियोजनाएँ संचालित नहीं थीं।

नोट:

- **दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य मामले, 2012 में**, न्यायालय ने कहा कि खान मंत्रालय द्वारा जारी **2010 के मॉडल नियम** पर्यावरणीय, पारिस्थितिक और जैवविविधता के दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण हैं और इसलिये राज्य सरकारों को **खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 15** के तहत सिफारिशों के अनुसार उचित नियम बनाने होंगे।

पूर्व उदाहरण क्या हैं?

- जनवरी 2018 में **NGT द्वारा 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्मित क्षेत्रों वाले भवन और निर्माण गतिविधियों** के लिये पूर्व EC की आवश्यकता से मंत्रालय द्वारा **वर्ष 2016 की अधिसूचना द्वारा दी गई और छूट को रद्द** कर दिया गया।
  - छूट को उचित ठहराने के लिये पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार का सुझाव जैसा कुछ भी नहीं था।
- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम** के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए, **NGT ने दिसंबर 2012 और जून 2013 में मंत्रालय द्वारा जारी दो कार्यालय ज्ञापनों को अमान्य कर दिया**। इन ज्ञापनों का उद्देश्य वर्ष 2006 की अधिसूचना के अंतर्गत परियोजनाओं को पूर्वव्यापी पर्यावरण मंज़ूरी देना था।
- 6 मार्च, 2024 को केरल **उच्च न्यायालय** ने वर्ष 2014 की अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्मित क्षेत्रों वाले शैक्षणिक संस्थानों तथा औद्योगिक इकाइयों को ईसी (EC) प्राप्त करने से छूट दी गई थी।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत रैखिक परियोजनाओं के लिये अनियमित मृदा उत्खनन की छूट को परिवर्तित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय पर चर्चा कीजिये। छूट की विशेषताओं और न्यायालय द्वारा उठाई गई चिंताओं का विश्लेषण कीजिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि
2. वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे।
3. वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1और न ही 2

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. गोंडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देता है। चर्चा कीजिये। (2021)

प्रश्न. "प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद कोयला खनन के विकास के लिये अभी भी अपरिहार्य है"। चर्चा कीजिये। (2017)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-overturns-unregulated-soil-extraction-for-linear-projects